राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक प.22(42)न्याय/11 जयपुर, दिनांक 9.10.19

::आदेश::

श्री रमेश चन्द्र मीणा, कनिष्ठ विधि अधिकारी, तत्कालीन कार्यालय जिला कलक्टर, डूंगरपुर हाल कार्यालय अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, संभाग उदयपुर के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवायें (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम–16 के अन्तर्गत इस विभाग के समसंख्यक ज्ञापन दिनांक 04.05.2016 के द्वारा आरोप पत्र, आरोप विवरण पत्र जारी कर अनुशासनिक कार्यवाही आरम्भ की गई।

श्री रमेश चन्द्र मीणा पर निम्न आरोप अधिरोपित किए गए हैः–

1. यह कि उक्त श्री रमेश चन्द्र मीणा, कनिष्ठ विधि अधिकारी, तत्कालीन कार्यालय कलेक्ट्रेट, डूंगरपुर में विधि सहायक के पद पर दिनांक 10.10.2012 से 13.02.2015 तक कार्यरत रहे है। इस अवधि में अतिरिक्त जिला कलक्टर न्यायालय के प्रकरण संख्या 3/2012 में आप द्वारा दोहरी टिप्पणी करने से अनियमितता की गई है। अतिरिक्त जिला कलक्टर कार्यालय डूंगरपुर के प्रकरण संख्या 3/2012 निर्णय दिनांक 29.11.2012 में तहसीलदार डूंगरपुर ने अपने पत्र क्रमांक 3405 दिनांक 10.12.2012 के द्वारा प्रकरण उनके विरूद्ध निर्णय होने से अपील संबंधी राय चाही गई थी आप द्वारा अपनी दुर्भावना से वशीभूत होकर कार्यालय टिप्पणी के पैरा संख्या 1 में प्रकरण की पालना उचित प्रतित होती है अंकित किया गया है। उक्त प्रकरण अपील योग्य होने पर भी आप द्वारा प्रकरण की पालना उचित प्रतित होना बताया है। जो टिप्पणी नियमों के विपरीत होने से मन्दिर मठ की भूमि का आधा भाग मदनसिंह चौहान के खाते में दर्ज हो गया। इस प्रकार दोहरी टिप्पणी करने से राज्य सरकार को हानि हुई है, जो गम्भीर दुराचरण, घोर लापरवाही एवं अनुशासनहीनता है, जिसके लिए आप उत्तरदायी है।
2. यह कि उक्त श्री रमेश चन्द्र मीणा, कनिष्ठ विधि अधिकारी, तत्कालीन कार्यालय कलेक्ट्रेट, डूंगरपुर में विधि सहायक के पद पर दिनांक 10.10.2012 से 13.02.2015 तक कार्यरत रहे है। प्रकरण संख्या 3/2012 में तहसीलदार डूंगरपुर के पत्र क्रमांक 3273 दिनांक 26.12.2012 के द्वारा उक्त प्रकरण में पुनःरक्षित उचित प्रतित बताते हुए निवेदन करने पर आपने दिनांक 26.12.2012 को उक्त प्रकरण में हुए निर्णय को अपील योग्य अंकित किया है। इस प्रकार आप द्वारा एक ही प्रकरण में दिनांक 11.12.2012 को निर्णय की पालना करने एवं निर्णय की पालना हो जाने के पश्चात् दिनांक 26.12.2012 को उक्त प्रकरण अपील योग्य बताया है। इस प्रकार आप द्वारा दोहरी टिप्पणी करने से अनियमितता की गई है, जो गम्भीर दुराचरण, घोर लापरवाही एवं अनुशासनहीनता है, जिसके लिए आप उत्तरदायी है।

श्री रमेश चन्द्र मीणा ने आरोप के सन्दर्भ में अपना लिखित अभिकथन दिनांक 05.08.2016 को प्रस्तुत किया। इस अभिकथन पर जिला कलक्टर कार्यालय डूंगरपुर से टिप्पणी चाही गई। जिला कलक्टर, डूंगरपुर द्वारा अपनी टिप्पणी इस विभाग को दिनांक 17.12.2018 को प्रस्तुत की गई। जिला कलक्टर, डूंगरपुर से प्राप्त टिप्पणी का अभिलेखों के साथ परीक्षण किया गया, जिसके अनुसार श्री रमेश चन्द्र मीणा, कनिष्ठ विधि अधिकारी के विरूद्ध अधिरोपित आरोप प्रमाणित होने की स्थिति में नहीं है।

अतः श्री रमेश चन्द्र मीणा, कनिष्ठ विधि अधिकारी के विरूद्ध अधिरोपित आरोप प्रमाणित नहीं पाये जाने के फलस्वरूप अनुशासनिक कार्यवाही को समाप्त करने के एतद्द्वारा आदेश प्रदान करते है।

राज्यपाल महोदय की आज्ञा से,

9.10.19

(मधुसूदन शर्मा)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. जिला कलक्टर, कार्यालय डूंगरपुर को उनके पत्र क्रमांक कार्मिक/वि.जांच/2015/1177 दिनांक 12.08.2015 एवं संस्थापन/2018/विजां/5434–36 दिनांक 17.12.2018 के क्रम में।
2. श्री रमेश चन्द्र मीणा, कनिष्ठ विधि अधिकारी, कार्यालय अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, संभाग उदयपुर
3. रक्षित पत्रावली।

9.10.19

संयुक्त शासन सचिव